

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270] No. 270] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 29, 2019/ श्रावण 7, 1941

NEW DELHI, MONDAY, JULY 29, 2019/SHRAVANA 7, 1941

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2019

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2019

सं.पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/5.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की 52 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (फ) और (ब) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015 निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत, -

- 1. इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2019 है ।
- 2. यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।
- 3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015 में:-
- (।) विनियम 5 के उप-विनियम (4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास बोर्ड के न्यासी के रूप में नियुक्त किया जाता है, किसी अन्य पेंशन प्रणाली न्यास के रूप में या प्राधिकरण या उसके प्रायोजक के साथ रजिस्ट्रीकृत किसी मध्यवर्ती के निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने का पात्र नहीं होगा :

परन्तु, उपरोक्त भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यासियों पर लागू नहीं होगा l

श्री रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./159/19]

3852 GI/2019 (1)

पादलेख:

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015, भारत के राजपत्र में भाग III, खंड 4 में 12 मार्च 2015 को, सं.पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/5 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2019

Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (First Amendment) Regulations, 2019

No. PFRDA/12/RGL/139/5.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clause (v) and clause (w) of sub-section (2) of Section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015 namely:

- 1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (First Amendment) Regulations, 2019.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015:-
 - (I) The sub-regulation (4) of regulation 5 shall be substituted as follows:

No person who is appointed as a trustee of the Board of Trustees of the National Pension System Trust shall be eligible to be appointed as a trustee of any other pension trust, or as director of any of the intermediaries registered with the Authority or its sponsor:

Provided that the above shall not be applicable to the Trustees appointed by Government of India or those appointed by any of the State Governments.

RAVI MITAL, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./159/19]

Footnote:

1. The principal regulations, Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015 was published in the Gazette of India, Part III Section 4 on March 12, 2015 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/5.